



2026:AHC:170793

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 26095 वर्ष 2026

बाबू

@

मुस्तकीम

.....आवेदक(गण)

बनाम

यूपी

राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:

अनुज कुमार गुप्ता, पंकज

कुमार गुप्ता

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 82

माननीय न्यायमूर्ति हरवीर सिंह

1.आवेदक के विद्वान अधिवक्ता राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें याचिका में आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 08 सन् 2026, धारा 8/20 नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, पुलिस स्टेशन रायसट्टी, जिला संभल में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया गया है।

3. यह आवेदक की दूसरी जमानत आवेदन है। आवेदक की पहली जमानत आवेदन को इस न्यायालय ने दिनांक 31.03.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 10046 सन् 2026 में पारित आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया था कि आवेदक ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया था कि आवेदक का नौ मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता ने इंगित किया था।

4. एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोप के अनुसार, आवेदक के कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ, अर्थात् 346 ग्राम चरस बरामद की गई है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है। प्रतिबंधित पदार्थ, अर्थात् 346 ग्राम चरस, जो आवेदक के कब्जे से बरामद किया गया है, व्यावसायिक मात्रा से कम है। कथित बरामदगी का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। उनका कहना है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 और 52 का उल्लंघन हुआ है और अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने **आरिफ खान उर्फ आगा खान बनाम अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय** वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उत्तराखंड राज्य (2018) 18 एससीसी 380 मामले में दिया गया था। इस फैसले में कहा गया है कि तलाशी और बरामदगी के संबंध में एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। आवेदक के खिलाफ नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनका जमानत आवेदन के पैरा 6 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। आवेदक 8 फरवरी 2026 से जेल में है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक उपर्युक्त अपराध करने में संलिप्त था क्योंकि उसके कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ अर्थात् 346 ग्राम चरस बरामद की गई है और इसलिए, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट है कि बरामद प्रतिबंधित पदार्थ, अर्थात् 346 ग्राम चरस, व्यावसायिक मात्रा से कम है; कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी नहीं है; एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 और 52 का अनुपालन नहीं किया गया है; आवेदक का आपराधिक इतिहास जमानत आवेदन के पैरा 6 में स्पष्ट किया गया है; और आवेदक 08.02.2026 से जेल में बंद है।

8. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अभियोग की प्रकृति और दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, अभियोग के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि, सजा के सुधारात्मक सिद्धांत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश पर विचार करते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत का मामला पाता हूँ।

9. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक - **बाबू उर्फ मुस्तकीम** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(1) आवेदक अन्वेषण या विचारण के दौरान गवाहों को डराकर/दबाव डालकर या अन्यथा अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;

(2) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। वह सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहना होगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है;

(3) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और धारा 313 सी.आ.रपी.सी. के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा; और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(4) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआर.पी.सी. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

10. जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की जाँच संबंधित न्यायालय द्वारा की जाएगी और उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर अधिनस्थ न्यायालय जमानत रद्द करने और आवेदक को कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ इस जमानत आवेदन के निपटारे तक ही सीमित हैं और मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव डालने के रूप में नहीं समझी जानी चाहिए।

13 अगस्त, 2026

मिनी

(हरवीर सिंह, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।